रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 1986/आषाढ़ 3, 1908

No. 315] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 1986/ASADHA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 1986

अधिसूचनाएं

सं. 368/86-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 903 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 276/85-सीमाशुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में प्रारंभिक पैरा में, खंड (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(ii) विनिर्माता सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष इस आशय का साक्ष्य पेश करता है कि उक्त पोलिएस्टर फाइबर, भार के आधार पर उक्त पोलिएस्टर फाइबर के चालीस प्रतिशत से अधिक किन्तु सत्तर प्रतिशत से कम वाले कम कीमत के कपड़ों के विनिर्माण के लिए,—

(क) हैंडलूम पर बुने गए फैब्रिक की दशा में, हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा ;

(ख) अन्य फैब्रिकों की दशा में, वस्त्र आयुक्त और पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव की रैंक से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा,

सम्यक् रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन प्रयोग के लिए आशयित है ;

(iii) विनिर्माता, ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर इस निमित्त विहित करे,—

(क) हैंडलूम पर बुने गए फैब्रिक की दशा में, राज्य सरकार के वस्त्र और हथकरघा के भार साधक निदेशक से ;

(ख) अन्य फैब्रिकों की दशा में, वस्त्र आयुक्त से;

इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करता है कि फाइबर का प्रयोग उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किया गया है ।"

[फा. सं. 357/16/86-टी आर यू]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th June, 1986

NOTIFICATIONS

No. 368|86-CUSTOMS

G.S.R. 903(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 276|85-Customs dated the 28th August, 1985, namely:—

In the said notification in the opening paragraph, for clauses (ii) and (iii), the folowing clauses shall be substituted, namely :—

"(ii) the importer produces evidence to the Assistant Collector of Customs to the effect that the said polyester fibre is intended for use under a programme duty approved,—

(a) in the case of fabrics woven on handlooms, by the Development Commissioner for Handlooms ;

(b) in the case of other fabrics, by the Textile Commissioner and an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Supply and Textiles,

for the manufacture of low price fabrics centaining more than 40 per cent. but less than 70 per cent by weight of the said polyester fibre ;

(iii) the importer shall, within such period as the Assistant Collector of Customs may specify in this behalf, produce a certificate,—

(a) in the case of fabrics woven on handlooms from the Director in charge of textiles and handlooms in the Government of a State ;

(b) in the case of other fabrics, from the Textile Commissioner,

to the effect that the said polyester fibre has been used for the aforesaid purpose.".

[F. No. 357/16/86-TRU]

सं. 357/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 904(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 191/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 अगस्त, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के प्रारंभिक पैरा में, खंड (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ii) विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष इस आशय का साक्ष्य पेश करता है कि उक्त पोलिएस्टर फाइबर, भार के आधार पर उक्त पोलिएस्टर फाइबर के चालीस प्रतिशत से अधिक किन्तु सत्तर प्रतिशत से कम वाले कम कीमत के कपड़ों के विनिर्माण के लिए,—

(क) हैंडलूम पर बुने गये फैब्रिक की दशा में, हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा ;

(ख) अन्य फैब्रिक की दशा में, वस्त्र आयुक्त और वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव की रैंक से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा,

सम्यक् रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अधीन प्रयोग के लिए आशयित है ;

(iii) विनिर्माता, ऐसी अवधि के भीतर जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर इस निमित्त विहित करे,—

(क) हैंडलूम पर बुने गए फैब्रिक की दशा में, राज्य सरकार के वस्त्र और हथकरघा के भार साधक निदेशक से ;

(ख) अन्य फैब्रिकों की दशा में, वस्त्र आयुक्त से, इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करता है कि फाइबर का प्रयोग उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किया गया है।"

[फा. सं. 357/16/86-टी आर यू.]

बी. श्रीधर, उप-सचिव

No. 357|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 904(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 191|85-CE dated the 28th August, 1985, namely :—

In the said notification, in the opening paragraph, for clauses (ii) and (iii), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(ii) the manufacturer produces evidence to the Assistant Collector of Central Excises to the effect that the said polyester fibre is intended for use under a programme duly approved,—

(a) in the case of fabrics woven on handlooms, by the Development Commissioner for Handlooms ;

(b) in the case of other fabrics, by the Textile Commissioner and an officer not below the rank of a Joint Secretary in the Ministry of Supply and Textiles,

for the manufacture of low price fabrics containing more than 40 per cent but less than 70 per cent by weight of the said polyester fibre;

(iii) the manufacturer shall, within such period as the Assistant Collector of Central Excise may specify in this behalf, produce a certificate,—

(a) in the case of fabrics woven on handlooms, from the Director in charge of textiles and handlooms in the Government of a State;

(b) in the case of other fabrics, from the Textile Commissioner,

to the effect that the said polyester fibre has been used for the aforesaid purpose.".

[F. No. 357/16/86-TRU]

V. SRIDHAR, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986